



## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 79/2025

दिनांक- 02.03.2025

\*हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 01.03.2025 को थाना कोतवाली व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय 01 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से टप्पेबाजी/धोखाधडी/चोरी की कई घटनाओं से सम्बन्धित कुल 3,51,500 रूपया, एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया गया है।\*

### \*थाना-कोतवाली\*

**\*टप्पेबाजी/धोखाधडी/चोरी की घटना कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय 01 शातिर अभियुक्त गिफ्तार 04 थानों की कुल 07 घटनाओं का सफल अनावरण, अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 03,51,500/- रूपयें, एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद।\***

### \*पूर्व की घटना-\*

1-अवगत कराना है कि वादिनी संजू सिंह W/O श्री दयानंद सिंह ग्राम- धनझुला, जीयनपुर, आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मैं रोज की भाति लछिरामपुर शिव मंदिर मे दर्शन करने गयी थी। पूजा करके लौट रही थी। तभी पिछे से एक व्यक्ति आकर किसी तांत्रिक के बारे में हमसे पूछने लगा। तो बेवजह उसने उस तांत्रिक के बारे मे हमसे चर्चा करने लगा की बहुत जानकार है हमारा (उस व्यक्ति) भला किया है। तभी वो दूसरा व्यक्ति (तांत्रिक) आ गया उसने हमको देखते ही बोलने लगा माता जी आप भी बहुत परेशान चल रही है। आपका दुख: अभी मै दूर किये देता हूँ। तांत्रिक बताने लगा की आपके पति की तबियात बहुत खराब चल रही है। यह बात सुन कर हमे उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने बताया कि आप अपना जेवर, पैसा बिना किसी को बताए इसी शिव मंदिर पर लेकर आईए। मै उस जेवरात पैसे का शुद्धीकरण के वापस कर दूंगा। मै उसकी बातों मै आकर अपने जेवर व पैसा लेकर लगभग 11 बजे दोपहर में लेकर चली गयी। वो दोनो बातों बातो मे कब हमारा पैसा व जेवर ले लिए पता ही नही चला। उसके बाद वो बोला सिधे गर चले जाईये और पिछे पलट कर नही देखिएगा नही तो अदृश्य हो जायेगा। साम 6 बजे पूजा करके खोलिएगा। शाम 6 बजे लगभग हमने पूजा करके खोला तो जेवर पैसा की जगह छोटा- छोटा ईंट पत्थर और कुछ मेवा था। जिसके बाद डर -डर कर अपने घर वालो को बताया। हमारे परिवार मे यह बात सुनकर सभी परेशान हो गये।

उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ दिनांक 26.8.24 को पंजीकृत किया गया।

2-वादिनी सोमारी देवी पता राहुल नगर मड़ा मो0न0 9569854014 द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी माँ सोमारी देवी पत्नी स्व0 रामबरत ठण्डी सड़क से टहलते हुए आ रही थी तब लोग मिले उन्होने कहा की आपके पोते पर जान की संकट है और उन्होने पेड से दो पत्ती तोडने के लिए कहा और कान का बाली और चैन निकाल कर हाथ मे रखने के लिए बोला और थोडी देर चलने के लिए बोला फिर हाथ से कान की बाली और चैन लेकर फरार हो गए। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 89/25 धारा 318(4) बीएनएस दि. 15.2.25 को पंजीकृत किया गया।

3-वादी संजय कुमार श्रीवास्तव (अधिवक्ता) राहुल नगर ठंडी सड़क आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी पत्नी श्रीमती चंदा श्रीवास्तव w/o संजय कुमार श्रीवास्तव प्रातः कालीन समय लगभग 7 से 8 के बीच में सिविल लाइंस (अग्रसेन चौराहा) ज्ञानू सिंह के गद्दी ( मकान) के सामने से सुबह मर्निंग वक करते हुए आ रहा हैं। इस बीच कुछ अज्ञात चार पांच की संख्या में मेरी पत्नी चंदा श्रीवास्तव टहलते हुए बातचीत के दौरान उनके पास से जेवरात चैन सोने का, चार अंगूठी सोने की, दोनों कान की बाली कीमत मूल्य लगभग 2.50 लाख का बहला फुसला कर ले लिया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 93/25 धारा 318(2) बीएनएस दि. 22.2.25 को पंजीकृत किया गया।

4-वादी सत्यपाल सिंह पुत्र स्व0 रामप्रताप सिंह साकिन मौजा बैठौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी माँ श्रीमती राजमुनि देवी दिनांक 22.2.25 में लगभग 12 बजे के बीच शाहगढ़ से बाजार करके बैठौली बाईपास के आगे पहुंची ही थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल से रोक कर बात चीत के दौरान सोने की चैन लगभग 90 हजार का बहला फुसलाकर ले लिया प्रार्थी कि माँ सोर मचाने पर पास के कुछ लोग इकट्ठा हुए तथा पास में लगे सी0सी0टीवी के फुटेज में सारी घटना क्रम देखा गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 318(2) बीएनएस दि. 25.2.25 को पंजीकृत किया गया।

5-वादिनी उर्मिला सिंह पत्नी रामआसरे निवासी सिधारी आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मैं अपने रूम सिधारी से बेलइसा अपनी बेटी के यहां जा रही थी। तो रास्ते में दो अनजान व्यक्ति आकर अपने आप को पुलिस बताकर मेरे लगे में से मेरा चैन यह बोलकर निकलवा लिए यह बोल कर कि हम चेकिंग कर रहे हैं। और वहां से चले गये मेरे द्वारा विरुद्ध करने पर बोले कि नहीं देंगी तो गला कट जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 318(2), 351(2) बीएनएस दि. 27.2.25 को पंजीकृत किया गया।

6-वादी दिलाज राम S/O बलिधारी ग्राम कटात चक कटात थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 31.5.2024 को मैं यूनियन बैंक मेंहनगर से 15000/ अपने खाता से निकालकर बैंक के बाहर आया तो समय करीब 12.15 बजे एक व्यक्ति मिला मुझसे बातचीत करते हुये रोडवेज मेंहनगर के पास समय करीब 12.40 बजे मुझसे कहा कि मुझे विहार जाना है मुझे 15000 रुपये दे दो और अपना एक रूमाल मे बधा 50000 रुपये बताकर मुझे दे दिया बताया कि आप बैंक में जमा कर लेना मैं विश्वास में आकर उस व्यक्ति को अपना 15000 रुपये उसे दे दिया जब मैं रूमाल खोलकर देखा तो उसमें नोट के साइज के कटे कागज थे। इतने में वह व्यक्ति कही चला गया। मैं काफी खोज बिन किया परन्तु वह व्यक्ति नहीं मिला मुझे धोखा देकर मेरा 15000 रुपये मुझसे लेकर चला गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 207/24 धारा 420/406 भादवि दि. 31.5.24 को पंजीकृत किया गया।

7-वादिनी बेईली देवी पत्नी रामजतन चौहान निवासी ग्राम खराटी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 25.01.2025 को मैं डीजल मुहम्मदपुर से लेकर कोहडौरा भट्टा होते हुए घर आ रही थी कि भट्टे के कोने पर एक व्यक्ति मिला और कहा कि तुम अपना गहना, मोबाइल और रूपया दे दो मैं तुम्हें 2 लाख रुपये नकद और एक सरकारी आवास मैं दिलाऊंगा इस पर मैं लालच में आकर अपने पहने हुए गहने सोने का लाकेट व सोने का झाला, मोबाइल व 2000 रु. मैं लालच वश उसे निकालकर दे दी और वह लेने के बाद चला गया यह घटना करीब दिन के 2.00 बजे की है वह व्यक्ति मुझे बहला फुसलाकर मेरे साथ ठगी किया है उक्त के सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर में मु0अ0सं0 28/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

#### **\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-\***

दिनांक- 01.03.2025 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पठान अली पुत्र जाफर अली उर्फ शहजान निवासी वादी शाहगंज थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र 55 वर्ष को समय 22.20 बजे राहुल नगर मड्या ठण्डी सड़क से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से ठगी का कुल 351500 रूपया बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

#### **\*अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण:-\***

पूछताछ पर बता रहा है कि हमलोग सोने के जेवरात की ठगी करते हैं। हमारा 4 लोगों का गिरोह है। जिसके सदस्य तालिब, वसीम व यासिन उर्फ सुल्तान हैं। हमसभी लोग मिलकर 45 से 50 वर्ष की धार्मिक महिलाओं को व कम पढे-लिखे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उनको विश्वास में लेकर तथा पूजा पाठ, धर्म आदि तथा तंत्र-मंत्र के माध्यम से पहने हुए व घर में रखे हुए गहनों को शुद्ध करने के सम्बन्ध में बताकर अपनी बातों में उलझाकर बहला फुसलाकर उनके जेवरात ले लेते हैं तथा उनको छोटे छोटे ईंट- पत्थर के टुकड़े एक कागज में लपेटकर धागे से बांधकर वापस देते हैं और उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपका सभी जेवरात इसी कागज की पोटली में शुद्धीकरण के बाद रख दिया है। इसे घर ले जाकर पूजा पाठ करने के बाद सायं काल खोलियेगा। इस दौरान हम सभी लोग घटना स्थल से दूर निकल जाते हैं।

#### **\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास:-\***

1. पठान अली पुत्र जाफर अली उर्फ शहजान निवासी वादी शाहगंज थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र 55 वर्ष
- 1.मु0अ0सं0 51/21 धारा 380/411 भादवि थाना हैदरगंज जिला अयोध्या
- 2.मु0अ0सं0 984/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद नगर कमिश्नेट गाजियाबाद
- 3.मु0अ0सं0 202/24 धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट, 109(1), 317(4), 106, 35 बीएनएस थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद
- 4.मु0अ0सं0 02/24 धारा 323, 380, 411, 506 भादवि थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद
- 5.मु0अ0सं0 8/24 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि, 307/399/402 भादवि थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद
- 6.मु0अ0सं0 187/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद
- 7.मु0अ0सं0 282/22 धारा 307/504/506 भादवि थाना डलमऊ जनपद रायबरेली,
- 8.मु0अ0सं0 438/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना डलमऊ जनपद रायबरेली
- 9.मु0अ0सं0 117/22 धारा 379/411 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली
- 10.मु0अ0सं0 508/22 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई
- 11.मु0अ0सं0 478/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 12.मु0अ0सं0 89/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 13.मु0अ0सं0 93/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 14.मु0अ0सं0 81/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

- 15.मु0अ0सं0 83/25 धारा 318(2), 351(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 16.मु0अ0सं0 207/24 धारा 420/406 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
- 17.मु0अ0सं0 28/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 18.मु0अ0सं0 103/25 धारा 317(2), 319(2),318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**\*वांछित/फरार अभियुक्त\***

**\*1. वसीम पुत्र इमरान अब्बास उर्फ जौहरी निवासी घेर शामू खान ठण्डी सड़क थाना फरूखाबाद कोतवाली जिला फतेहगढ़\***

- 1.मु0अ0सं0 79/22 धारा 174ए भादवि थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती
- 2.मु0अ0सं0 140/21 धारा 420 भादवि थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती
- 3.मु0अ0सं0 77/18 धारा 323/34/364/395/427/452/504/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 478/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 5.मु0अ0सं0 89/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 6.मु0अ0सं0 93/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 7.मु0अ0सं0 81/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 8.मु0अ0सं0 83/25 धारा 318(2), 351(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 9.मु0अ0सं0 207/24 धारा 420/406 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
- 10.मु0अ0सं0 28/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 11.मु0अ0सं0 103/25 धारा 317(2), 319(2),318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

2 तालिब अब्बास पुत्र इमरान अब्बास उर्फ जौहरी निवासी एसडीएम आवास के सामने थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर,

- 1.मु0अ0सं0 478/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0 89/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0 93/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0 81/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 5.मु0अ0सं0 83/25 धारा 318(2), 351(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 6.मु0अ0सं0 207/24 धारा 420/406 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
- 7.मु0अ0सं0 28/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 103/25 धारा 317(2), 319(2),318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**\*2. यासीन उर्फ सुल्तान पुत्र सहजान अली उर्फ जाफर हुसैन निवासी ठण्डी सड़क मदर इण्डिया कोल्ड स्टोर के पास थाना फरूखाबाद जिला फतेहगढ़\***

- 1.मु0अ0सं0 258/18 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी
- 2.मु0अ0सं0 190/18 धारा 379/420 भादवि थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 3.मु0अ0सं0 79/18 धारा 406,420 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 4.मु0अ0सं0 123/18 धारा 392/411/420 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 5.मु0अ0सं0 131/18 धारा 171/411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 6.मु0अ0सं0 101/18 धारा 379/411/420 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 7.मु0अ0सं0 282/18 धारा 392/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 8.मु0अ0सं0 296/18 धारा 392/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 9.मु0अ0सं0 338/18 धारा 406/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 10.मु0अ0सं0 343/18 धारा 406/411/420 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 11.मु0अ0सं0 361/18 धारा 392/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 12.मु0अ0सं0 402/18 धारा 174,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 13.मु0अ0सं0 1073/17 धारा 379/411/420 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 14.मु0अ0सं0 73/18 धारा 394/411 भादवि थाना कैन्ट जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 15.मु0अ0सं0 142/18 धारा 392/411 भादवि थाना विभूतीखण्ड जनपद लखनऊ उत्तरी कमिश्नेट
- 16.मु0अ0सं0 478/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 17.मु0अ0सं0 89/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 18.मु0अ0सं0 93/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
- 19.मु0अ0सं0 81/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 20.मु0अ0सं0 83/25 धारा 318(2), 351(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
- 21.मु0अ0सं0 207/24 धारा 420/406 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

22.मु0अ0सं0 28/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

23.मु0अ0सं0 103/25 धारा 317(2), 319(2),318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1-ठगी का 351500 रूपया

2-एक अदद मोटर साइकिल

3- 7 प्रेस आईडी, 3 आधार कार्ड,

4-1 एटीएम, 1 पुलिस आईडी,

5-माईक आईडी, ताबिज, माला,

6-परफ्यूम, 4 अदद कैप आदि बरामदा

**\*अनावरित मुकदमों का विवरण-\***

1.मु0अ0सं0 478/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 89/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 93/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 81/25 धारा 318(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

5.मु0अ0सं0 83/25 धारा 318(2), 351(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

6.मु0अ0सं0 207/24 धारा 420/406 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़

7.मु0अ0सं0 28/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़

निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी प्रभारी स्वाट टीम आजमगढ़ मय हमराह

उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल चौकी प्रभारी पहाड़पुर, म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता मय हमराह

उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़



